



2021  
 2021  
 2021




अपीलान्ट के विद्वान अध्यापक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय प्रोफेसर ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधि अनुसार जारि नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हूड है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 0.25 हेक्टर पर किस धारणा है बाकें ग्राम जलसीना तहसील रूनी पर संवत् 2082 फसल खरीक में बाजरा की फसल बूबाई कर कर भूमि पर अनाधिकृत अपिकमण किया था। उक्त अपिकमित भूमि की किस धारणा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सावधानिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। पटवारी हलका की रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अपिकमण किया था। अपिकमी सरकारी भूमि पर बार बार अपिकमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलान्ट को पश्चात्तवर्ती अपिकमी होने सिद्ध है। सावधानिक उपयोग की भूमियों को

को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा साजयाब करने में गलती की है।  
 उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट ने अपना कब्जा हटा लिया है और भौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 को निरस्त करमाया जावे।

उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट ने अपना कब्जा हटा लिया है और भौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 को निरस्त करमाया जावे।  
 अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कोई पश्चात्तवर्ती कब्जा भी साबित नहीं है। फारमेट में नाम पते भर कर दिये गये हैं ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योन्य नहीं होते हैं तथा अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष जो पटवारी द्वारा जो बयान लेखबद्ध कराये गये हैं वे एक फारमेट में नाम पते भर कर दिये गये हैं ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योन्य नहीं होते हैं तथा नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का भौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा साजयाब करने में गलती की है।

उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाता।  
 अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कोई पश्चात्तवर्ती कब्जा भी साबित नहीं है। फारमेट में नाम पते भर कर दिये गये हैं ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योन्य नहीं होते हैं तथा अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष जो पटवारी द्वारा जो बयान लेखबद्ध कराये गये हैं वे एक फारमेट में नाम पते भर कर दिये गये हैं ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योन्य नहीं होते हैं तथा नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का भौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा साजयाब करने में गलती की है।  
 अपीलान्ट के विद्वान अध्यापक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय प्रोफेसर ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधि अनुसार जारि नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हूड है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 0.25 हेक्टर पर किस धारणा है बाकें ग्राम जलसीना तहसील रूनी पर संवत् 2082 फसल खरीक में बाजरा की फसल बूबाई कर कर भूमि पर अनाधिकृत अपिकमण किया था। उक्त अपिकमित भूमि की किस धारणा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सावधानिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। पटवारी हलका की रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अपिकमण किया था। अपिकमी सरकारी भूमि पर बार बार अपिकमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलान्ट को पश्चात्तवर्ती अपिकमी होने सिद्ध है। सावधानिक उपयोग की भूमियों को



विश्वविद्यालय दिनांक 30.10.2025 को खूले न्यायालय में सूनाया गया।

कानूनी कयावही की जावेगी।

मैंने अथवा अन्य किसी सरकारी मसि पर अतिकमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अपारत की जाती है। अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा मविष में उक्त दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा नायब तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 30.10.2025 के जारिये की गई दण्ड सिद्धी एवं अर्थ फलतः अपील अपीलान्त आहिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

वचित प्रतीत होता है।

हूआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना पड़ी हुई है। उक्त अतिकमी द्वारा किसी प्रकार का अतिकमण एवं कब्जा कायत नहीं किया कि अतिकमी द्वारा उक्त मसि पर से अतिकमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर मसि खाली दूनी ने मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 197 दिनांक 11.03.2026 से प्रेषित की जिसमें अतिकत किया है हेतु नायब तहसीलदार दूनी से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार लेने व मविष में पुनः कब्जा नहीं करने का प्रणय पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच नोटिस देकर सूनावाड़े का अवसर दिया है। अपीलान्त ने अतिकमित मसि से अपना कब्जा हटा की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय हमने अधिमाषक अपीलान्त व राजकीय प्रोकार की बहस को सूना एवं बहस पर

एवं वचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

अतिकमण से मुक्त करया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही